



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2लखनऊ: दिनांक 08 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राम रसायन पुत्र स्व0 पाटेश्वरी, निवासी-जनपद-गोण्डा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-39076/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-29.09.2025, दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राम रसायन पुत्र स्व0 पाटेश्वरी, ग्राम-बहेर कुआ, थाना-धानेपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिवार बनाने के विवाद को लेकर दिनांक 01.07.1987 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-सत्र परीक्षण संख्या-615/1987 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302, 201,506 भाग-2 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के दण्डादेश दिनांक 08.08.1991 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.02.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 09.07.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह 27 दिन तथा 12 वर्ष, 02 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 09.07.2025 तक बन्दी की 63 वर्ष, 11 माह की आयु एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 09.07.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 02 माह, 06 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राम रसायन (बन्दी संख्या-307/2019) पुत्र स्व0 पाटेश्वरी, निवासी-जनपद-गोण्डा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या-920/2026/2166(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव